राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में कार्यालय प्रमुखों की भूमिका

एल.एस. सोलंकी, उप मुख्य अधिकारी (राजभाषा)
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार, प्रत्येक कार्यालय के कार्यालय प्रमुख का यह संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि वह अपने कार्यालय में राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित-1967) तथा राजभाषा नियम, 1976 के विभिन्न नियमों एवं उपबंधों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करे एवं कराए।

यह कहा जाता है कि राजभाषा नीति को लागू करने के लिए यदि दण्ड की व्यवस्था होती तो राजभाषा नीति का अनुपालन स्वयं ही ठीक प्रकार से होता मैं इस तथ्य से सहमत नहीं हूँ। जो कार्य प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से कराए जा सकते हैं, वे दण्ड का भय दिखाकर नहीं कराए जा सकते। मेरा विश्वास है कि किसी भी कर्मचारी को प्यार से अभिभूत करके राजभाषा नीति का अनुपालन तो क्या, कोई भी कार्य कराया जा सकता है।

पुस्तकालय
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की

सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में संबंध में राजभाषा नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट उपरोक्त नियम 12 से संभवतः सभी कार्यालय प्रमुख अवगत होंगे ही। मगर आश्चर्य की बात है कि उपरोक्त नियम के होते हुए भी अधिकांश कार्यालयों में सरकार की राजभाषा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं हो रहा है। इसका एकमात्र कारण यह है कि कार्यालय प्रमुख, सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रति या तो जागरूक नहीं है और यदि कार्यालय प्रमुख जागरूक है तो कार्य की मानीटरिंग ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है जिसके फलस्वरूप कार्यालय के कर्मचारी, जो कि हिन्दी भाषा के प्रयोग में भी दक्ष हैं, राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर कार्य नहीं कर रहे हैं। अन्यथा क्या कारण है कि इतने वर्षो के पश्चात भी (वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम तथा वर्ष 1976 में राजभाषा नियम बनने के उपरान्त भी) कार्यालय में सरकार की राजभाषा नीति का ढुलमुल ढंग से अनुपालन हो रहा है।

यदि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रति कार्यालय प्रमुख की दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो वह थोड़े से अन्तराल में ही कार्यालय की दशा एवं दिशा, दोनों को ही बदल सकता है। मगर आवश्यकता इस बात की है कि हम राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रति अपनी सोच में बदलाव लाएं तथा राजभाषा नीति के अनुपालन संबंधी कार्य को अपने मुख्य कार्यो में सम्मिलित करें।

आज, यदि हम सच्चे दिल से स्वीकार करें तो यह पाएंगे कि सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में कर्मचारियों से अधिक दोषी, कार्यालय प्रमुख है क्योंकि वे स्वयं अंग्रेजी के मोहपाश में जकड़े हुए हैं। वे अपनी टिप्पणियां अंग्रेजी में लिखते हैं। डिक्टेशन अंग्रेजी में देते हैं एवं बैठकों तथा समारोहों में अपने वक्तव्य अंग्रेजी में देते हैं। कुछ अधिकारी संभवतः यह भी सोचते हैं कि यदि वे हिन्दी में लिखेंगे तो उनके अधीनस्थों पर उनका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी सोच के अनुसार हिन्दी की तुलना

में अंग्रेजी अधिक प्रभावपूर्ण भाषा है। वस्तुतः सारा मामला व्यक्ति की सोच का है। व्यक्ति की यदि धारणा ही ठीक न हो तो अच्छे परिणाम कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं ?

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि हम हिन्दी अथवा अंग्रेजी की, एक-दूसरे से तुलना ही क्यों करें ? इनमें से कौन सी भाषा प्रभावशाली है और कौन सी प्रभावहीन, सरकार की राजभाषा नीति से इसका क्या संबंध है ? कुछ नहीं। अतः इसका तात्पर्य यह है कि हमें भारतवर्ष के संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में दिए गए विभिन्न उपबंधों का पालन करना है, जिसके अनुसार देवनागरी लिपि में हिन्दी संघ की राजभाषा है एवं समस्त सरकारी प्रयोजनों हेतु भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाना है।

सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के संबंध में भारत के संविधान में स्पष्ट अनुच्छेद है, राजभाषा अधिनियम-1963, राजभाषा नियम-1976 तथा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आदेश जब विद्यमान हैं तो फिर राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में अड़चन कहाँ है, वह भी उन परिस्थितियों में जबकि राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न पुरस्कार एवं प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हों। उत्तर है- "हमारी सोच"* हम यदि अपनी "सोच" में परिवर्तन लाएं तो तुरन्त प्रभाव से ही किसी भी कार्यालय में पूर्ण रूप से सरकार की राजभाषा नीति को लागू किया जा सकता है। इसके लिए कार्यालय प्रमुख को केवल निम्नलिखित कार्य करने होंगे:-

- स्वयं हिन्दी में कार्य करें। (अपनी टिप्पणियां हिन्दी में लिखें, डिक्टेशन हिन्दी में दें एवं वार्तालाप में हिन्दी का प्रयोग करें)। इससे अधीनस्थ कर्मचारियों को भी हिन्दी में कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।
- कार्यालय के समस्त कर्मचारियों को सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी देते हुए उन्हें इसके "कार्यान्वयन हेतु स्पष्ट एवं लिखित आदेश जारी करें। "
- उपरोक्त आदेशों के अनुपालन की स्थिति हेतु प्रभावी **"जाँच बिन्दु"** बनाएं। जिस कर्मचारी द्वारा राजभाषा नीति का उल्लंघन किया जा रहा हो, उसे आधिकारिक रूप से हिन्दी में कार्य करने के निर्देश दें तथा साथ ही प्रेरणा दें।
- राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जो प्रोत्साहन योजनाएं विद्यमान हैं, उन्हें कार्यालय में लागू करें जिससे कि कार्यालय के कर्मचारियों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रति रूचि जागृत हो सके।
- कार्यालय परिसर में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के प्रति प्रेरक वातावरण निर्मित करें। इस हेतु राजभाषा संगोष्ठियाँ, हिन्दी कार्यशालाएं, हिन्दी प्रतियोगिताएं एवं हिन्दी दिवस संबंधी आयोजन करें। (ज्ञातव्य हो कि अधिकाधिक कार्यालयों में राजभाषा संगोष्ठियां, हिन्दी कार्यशालाएं, हिन्दी प्रतियोगिताएं एवं हिन्दी दिवस संबंधी आयोजन तो किए जाते हैं मगर इन्हें केवल औपचारिक रूप में अथवा लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य से ही आयोजित किया जाता है मगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता इस बात की है कि इन आयोजनों को पूर्ण रूचि एवं उत्साह के साथ आयोजित किया जाए जिससे कि इन आयोजनों से सार्थक परिणाम प्राप्त हो सकें।)

- कर्मचारियों को राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन से संबंधित "सदर्भ सामग्री" उपलब्ध कराएं जिससे कि हिन्दी में कार्य करते समय किसी प्रकार का व्यवधान न आए और आवश्यकतानुसार वे संदर्भ सामग्री का उपयोग कर सकें।
- राजभाषा नीति के अनुसार कार्य करने वालों की सार्वजनिक रूप से भूरि-भूरि प्रशंसा करें जिससे कि राजभाषा हिन्दी के प्रति तटस्थ एवं नकारात्मक रवैया रखने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्राप्त हो और वे भी राजभाषा हिन्दी में कार्य करके प्रशंसा प्राप्त करने के पात्र बन सकें।

इस प्रकार, कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय में सरकार की राजभाषा नीति को प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

अतः हमें राजभाषा नीति के प्रभावपूर्ण अनुपालन हेतु अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा तथा अपने कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को परिपक्व सोच से ओत-प्रोत, नीतिपूर्ण एवं सकारात्मक प्रबन्धन तथा प्रभावशाली नेतृत्व देना होगा। कार्यालय प्रमुख जब अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं तो स्वयं ही बेहतर परिणाम प्राप्त होने लगते हैं।

कहावत है **"यथो राजा तथो प्रजा"*** यहाँ सारा मामला भेडचाल का है, मुखिया भेड जिस रास्ते पर चलती है, बाकी भी उसी रास्ते पर जाती है। इसी प्रकार, कार्यालय का प्रधान जिस तरह की सोच रखता है उस कार्यालय के कर्मचारी भी बॉस को खुश करने के लिए उसी दिशा में सोचने लगते हैं, और यह सोच ही है जो वांछित परिणाम की उपलब्धता एवं अथवा अनुपलब्धता की दिशा तय करती है। अच्छी सोच - अपनेपन की भावना अथवा लगाव की द्योतक है। और जहाँ अपनापन है, वहाँ लक्ष्यों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है इसका कारण है - **"जहां चाह, वहां राह"**। इस संबंध में कहावत भी है कि **"प्रयास कभी बेकार नहीं जाते"** अगर हम प्रयास करेंगे तो उसके परिणाम प्राप्त होना तो स्वाभाविक है ही।

***